भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 975
02.12.2024 को उत्तर के लिए

हाथी गलियारों में रिसॉर्ट्स का संचालन

975. श्री माथेश्वरन वी. एस. :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के हाथी गलियारों में स्थित रिसॉर्ट के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में हाथी गलियारे में रिसॉर्ट चलाने वाले रिसॉर्ट मालिकों के विरूद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): तमिलनाडु राज्य से प्राप्त सूचना के अनुसार, नीलगिरी जिले में अधिसूचित सेगुर हाथी गलियारे के भीतर 38 रिसॉर्ट मौजूद हैं। इसके अलावा, जैसा कि राज्य द्वारा सूचित गया है, अधिसूचित हाथी गलियारे में आने वाले और हाथियों की आवाजाही में बाधा डालने वाले अवैध रिसॉर्टों को जिला प्रशासन द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 897/1996 दिनांक 09.08.2018 के आदेशों के अनुसार सील कर दिया गया है और ताला लगा दिया गया है। इसके अलावा, रिसॉर्ट मालिकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सेगुर पठार हाथी गलियारे की जांच समिति के आदेशों के आधार पर, राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा रिसॉर्ट मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं।

*****